केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
दूरभाष सं.-011-28524993, 28524995, 28520979, 28520966
वेबसाईट-www.sanskrit.nic.in

अधिसूचना संख्या- के.सं.वि./36014/विज्ञापन/योजना-I/2025-26/01 **दिनांक-25.03-2025**

संस्कृत संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतुऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित संस्कृत के संवर्धन कीकेन्द्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। तदनुसार, संस्कृत के संवर्धनहेतु निम्नलिखित केन्द्रीय योजनाओं के तहत इच्छुकएन.जी.ओ./स्वैच्छिक संगठन/संस्थाएं/विश्वविद्यालय/प्रकाशक/वैयक्तिक/छात्रों से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं:-

क्रम संख्या	योजना का नाम	ऑनलाईन पंजीकरण	
		आरम्भ तिथि	अन्तिम तिथि
1.	**संस्कृत शिक्षण -** पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/महाविद्यालयों/सरकारी विद्यालयों/गुरु शिष्य परम्परा संस्थाओं में शिक्षण हेतु संस्कृत एवं आधुनिक विषय के शिक्षकों की व्यवस्था तथा आवासीय छात्रवृत्ति।	**01.04.2025**	**30.06.2025*(हालाँकि आवेदन के लिए पोर्टल पूरे वर्ष खुला रहेगा।)**
2.	**सम्मान राशि -** अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाले प्रख्यात संस्कृत पण्डितों के लिए वार्षिक वृत्ति।		
3.	**संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन, थोक खरीद और दुर्लभ संस्कृत ग्रन्थों के पुनर्मुद्रण।**		
4.	**शास्त्र चूड़ामणि -** संस्कृत शास्त्र के शिक्षण हेतु शास्त्र विद्वानों की अथवा सेवानिवृत्त संस्कृत विद्वानों की सेवाओं की उपयोगिता।		
5.	**संस्कृत संवर्धन कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ -** विभिन्न संस्कृत संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।		
6.	**व्यावसायिक प्रशिक्षण -** पंजीकृत पारम्परिक संस्कृत संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण।		
7.	**अष्टादशी-** संस्कृत संवर्धन हेतु अठारह परियोजनाएं (निर्धारित क्षेत्रों में ही आवेदन आमंत्रित है।)		
8.	**छात्रवृत्ति -** पारंपरिक एवं आधुनिक धारा में नियमित रूप से 9वीं कक्षा से पीएच.डी. तक संस्कृत/पालि/प्राकृत भाषा को अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति।		

***उपरोक्त सभी योजनाओं के लिए वेबसाइट का ऑनलाइन पोर्टल पूरे वित्तीय वर्ष में खुला रहेगा। हालांकि, उपरोक्तानुसारदिनांक 30.06.2025 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को निकटतम अनुदान समिति की बैठक में वित्तीय सहायता हेतु विचारार्थरखा जायेगा। उपरोक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को अनुदान समिति (अध्यक्ष और सदस्यों) की सुविधा और बजट उपलब्धता के आधार पर बाद की अनुदान समिति कीबैठक में विचारार्थरखा जा सकता है। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है कि वित्तीय सहायता केवल बजट उपलब्धता की सीमा के अंदर ही एक वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाएगी।**

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन जमा करते समय इच्छुक आवेदक कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखें:-

i) उपर्युक्त सभी योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन माध्यम से ही (online mode only) स्वीकार्य है। अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र अस्वीकार्य है।

ii) उपर्युक्त योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, इच्छुक आवेदक के द्वाराप्रकाशनसामग्री/पुस्तक/आवश्यक दस्तावेजों आदि की प्रति तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रतिविधिवत प्रमाणित कर जमा करना आवश्यक है। आवेदन पत्र और अनुलग्नकों के सभी पृष्ठों पर आवेदक द्वारा स्याही से हस्ताक्षर और स्व-सत्यापित होना चाहिए।

iii) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद, भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 20 दिनों के अंदर **योजना का नाम लिफाफे के शीर्ष पर**लिखकर पंजीकृत डाक द्वारा **"कुलसचिव, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, 56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058** को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है।

iv) आवेदन पत्रभरने से पूर्व यह सलाह दी जाती है कि प्रत्येक योजना के दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वकपढ़ें।

v) प्रत्येक योजना के दिशानिर्देश, मानदेय राशि, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया एवं आवेदन पत्र को अग्रसारित करने की प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वैबसाईटwww.sanskrit.nic.in/schemesपर अवलोकन करें।

vi) उपरोक्त प्रत्येक योजना के लिए स्वतः नवीनीकरण नहीं होगा। इसलिएपिछले वर्ष के सभी अनुदान प्राप्त संस्थाओंको प्रत्येक वर्ष योजना के अंतर्गत नियमानुसार नवीन आवेदन करना अनिवार्य है।

vii) वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र पर विचार या अस्वीकृति, योजना के नियमानुसार, धन की उपलब्धता और अनुदान समितिकी स्वीकृति आदि प्रक्रिया पर निर्भर करती है। अतः प्रत्येक योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु प्रतिवर्ष अलग से आवेदन करना अनिवार्य हैं।

viii) योजना से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण या संदेह के मामले में आवेदक उपरिलिखित दूरभाष या पत्र व्यवहार संकेत अथवा ई-मेल help.schemes@csu.co.in के माध्यम से संपर्क कर सकते है।

टिप्पणी :उपरोक्त आवेदन प्रारूप (i) और योजना विवरण (v) के लिए, कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर संलग्न**"अधिसूचना"**पटल परदेखें।

हस्ता./-
कुलसचिवप्र.